न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/217/2020	16.09.2020	09.03.2022

बउनवान

1–माधव नारायण उर्फ माधो पुत्र श्रीनिवास, उम्र करीब 66 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी भजीट, तहसील व जिला अलवर

––वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर (राज0)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, तहसील व जिला अलवर लैण्ड होल्डर

––प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 89
राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थितिः– श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट
––वादी

: निर्णय :

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम पेश किया कि आराजी सौविक खसरा नंबर 241 रकंबा 2 बीघा 8 बिस्वा, संवत् 2020 से पूर्व जिसके हाल नंबर संवत् 2020 में 86 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 123/1158 रकबा 3 बिस्वा व संवत् 2051 में उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर क्रमशः 168 रकबा 38 ऐयर, जिसमें साबिक खसरा नंबर 86 मिन रकबा 2बीघा 5 बिस्वा व 86/1142 रकबा 5 बिस्वा शामिल है हाल नंबर 217 रकबा 25 ऐयर साबिक खसरा नंबर 86 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 86 मिन / 1142 सा0 नं0 168 व खसरा नंबर 218 रकबा 4 ऐयर जिसका साबिक खसरा नंबर 123/1158 रकबा 3 बिस्वा आराजी वाके ग्राम भजीट, को मिनवादी के पिता ने मिनवादी के नाम जब मिनवादी नाबालिग था, सोहनलाल पुत्र प्यारेलाल, जाति खत्री, निवासी भजीट, तहसील अलवर से जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 10–07–1965 जो बैयनामा उप पंजीयक महोदय, अलवर से दिनांक 30–09–1965 को पंजीबद्ध किया गया है। जो आराजी मुतनाजा 864/– रू. में खरीद की है। वक्त बैयनामा मिनवादी नाबालिग था। जिससे बैयनामे में "श्री माधव नारायण दत्तक पुत्र में भगवान सहाय उम्र करीब 15 साल, बसरपरस्ती श्रीनिवास पुत्र छाजूराम, जाति ब्राह्मण, वासी भजीट, तहसील अलवर" दर्ज कर दिया है। जबकि मिनवादी को भगवान सहाय ने गोद नहीं लिया व ना ही मिनवादी भगवान सहाय का दत्तक पुत्र है जबकि बैयनामे मे मिनवादी की बसरपरस्ती अपने कुदरती पिता श्रीनिवास का नाम अंकित है। जिससे भी श्रीमान् को रोशन होगा कि मिनवादी को भगवान सहाय ने गोद नहीं लिया है व ना ही मिनवादी भगवान सहाय के साथ रहा बल्कि मिनवादी अपने कुदरती पिता श्रीनिवास के पास रहा। इस कारण बैयनामे मे मिनवादी बसरपरस्ती अपने कुदरती पिता के नाम अंकित की है। उक्त आराजी का इंतकाल बैय नंबर 99 आराजी मुतनाजा का दर्ज होने पर इंतकाल में यह साफ अंकित किया है कि "गोदनामा का प्रमाण पत्र नहीं है। जिससे इंतकाल दिनांक 08–09–1974 को खारिज हो गया व पुनः इंतकाल दिनांक 15–09–1974 को आराजी मुतनाजा का मिनवादी "माधव नारायण दत्तक पुत्र भगवान सहायं जाति ब्राह्मण, भजीट" दर्ज कर दिया है। इंतकालका अमल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बन्दी संवत 2033 खाता संख्या 232 खसरा नंबर 86 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खसरा र 123/1158 रकबा 3 बिस्वा में माधवनारायण दत्तक पुत्र भगवान सहाय कौम ब्राह्मण हो ा है जबकि मिनवादी को भगवान सहाय ने गोद नहीं लिया है। आराजी मुतनाजा का हाल दोबस्त संवत् 2051 मिसल हकीकत में खाता नंबर 258 (253) में माधव नारायण पुत्र न सहाय आराजी खसरा नंबर साबिक 123/1158 रकबा 3 बिस्वा व हाल नंबर 218 कबा 4 ऐयर दर्ज है व खाता नंबर 259 (254) में माधव नारायण दत्तक पुत्र भगवान सहाय आराजी खसरा नंबर साबिक 86 मिन 2 बीघा 5 बिस्वा 86/1142 मिन 5 बिस्वा जिसका हाल बर 168 रकबा 38 ऐयर व साबिक खसरा नंबर 86 मिन 86/1142 मिन हाल खसरा नंबर 217 रकबा 25 ऐयर दर्ज किया है व इसी आधार पर कागजात माल जमाबन्दी संवत् 2072 — 2075 खाता नंबर नया 224 (231) में माधव नारायण पुत्र भगवान सहाय आराजी खसरा नंबर 218 रकबा 0.04 ऐयर दर्ज है व कागजात माल जमाबन्दी खाता नंबर नया 225 (232) में माधव नारायण दत्तक पुत्र भगवान सहाय आराजी खसरा नंबर 168 रकबा 0.38 ऐयर व 217 रकबा 0.25 ऐयर मे माधव नारायण का 2 बीघा 5 बिस्वा अंकित है। मिनवादी को माधव नारायण उर्फ माधो के नाम से पुकारा जाता है। माधव नारायण उर्फ माधो एक ही व्यक्ति के नाम है जो मिनवादी है। मिनवादी को भगवान सहाय ने गोद नहीं लिया व ना मिनवादी भगवान सहाय का दत्तक पुत्र है। मिनवादी वक्त बैयनामा नाबालिग था व मिनवादी के कुदरती पिता श्रीनिवास ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति थे इस कारण बैयनामे में सहबन दत्तक पुत्र भगवान सहाय अंकित कर दिया व इसी बैयनामें मे मिनवादी के कुदरती पिता श्रीनिवास की सरपरस्ती मिनवादी की अंकित की है जो आपस में विरोधाभास है। जिससे श्रीमान् को रोशन होगा कि मिनवादी को भगवान सहाय ने गोद नहीं लिया व ना ही मिनवादी भगवान सहाय का दत्तक पुत्र है व इंतकाल बैयनामा में भी "गोदनामा का प्रमाण पत्र नहीं है।" अंकित किया है। जिससे भी श्रीमान् को रोशन होगा कि मिनवादी को भगवान सहाय ने गोद नहीं लिया है।

वकील वादी ने वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा कि डिक्री इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज मश्वरे इसके कि आराजी वाके ग्राम भजीट, तहसील व जिला अलवर में स्थित आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नंबर 241 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, संवत् 2020 से पूर्व जिसके हाल नंबर संवत2020 में 86 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 123/1158 रकबा 3 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2033 खाता संख्या 232 खसरा नंबर 86 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नंबर 123/1158 रकबा 3 बिस्वा में मिनवादी को माधवनारायण दत्तक पुत्र भगवान सहाय व संवत् 2051 में उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर क्रमशः 168 रकबा 38 ऐयर, जिसमें साबिक खसरा नंबर 86 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 86/142 रकबा 5 बिस्वा शामिल है हाल नंबर 217 रकबा 25 ऐयर साबिक खसरा नंबर 86 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 86 मिन / 1142 सा0 नं0 168 व 218 रकबा 4 ऐयर जिसका साबिक खसरा नंबर 123/1158 रकबा 3 बिस्वा बैयनामा में मिनवादी को दत्तक पुत्र में भगवान सहाय अंकित किया है व मिसल हकीकत में खाता नंबर 258 में माधव नारायण पुत्र भगवान सहाय अंकित किया है व खाता नंबर 259 माधव नारायण दत्तक पुत्र भगवान सहाय अंकित किया है व इसी प्रकार कागजात माल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 वाके ग्राम भजीट, तहसील अलवर में खाता नंबर 224 माधव नारायण पुत्र भगवान सहाय अंकित किया है व खाता नंबर 225 माधव नारायण दत्तक पुत्र भगवान सहाय अंकित किया है। इनके स्थान पर माधव नारायण उर्फ माधो पुत्र श्रीनिवास घोषित किया जावे व दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी परोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भजीट में संवत 2020 से पूर्व के साविक खसरा नम्बर 241 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा के संवत 2020 के भू प्रबन्ध में खसरा नं 86 रकवा 2बीघा 05 बीसवा व खसरा नं. 123/1158 रकबा 03 बिस्वा व संवत 2051 के भू प्रबन्ध में

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

खसरा नं. 168 रकबा 0.38 ऐयर,217 रकबा 0.25 ऐयर व खसरा नं. 218 रकबा 0.04 ऐयर कायम किये गये है। वादी का वादी मुताबिक बयनामा एवं नामान्करण संख्या 99 दावा काबिल खारिज है। वकीलवादी ने अपने वाद के समर्थन में पी.डब्लयू.–1 माधव नारायण उर्फ माधो पुत्र श्रीनिवास पी.डब्लयू.–2 भरत लाल पुत्र सोनपाल जाट, पी.डब्लयू.–3 मानसिंह पुत्र घुडिया, पी.डब्लयू.–4 रस्मान पुत्र काढूला जाति मेव के शपथ पत्र पेश किये,

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रश्नगत आराजी पर वादी का नाम माधव नारायण उर्फ माधो पुत्र श्रीनिवास घोषित करने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात बयनामा प्रर्दश–1 में माधव नारायण दतक भगवान सहाय उम्र 15 साल वसरपरस्ती श्रीनिवास पुत्र छाजू राम का अंकन है बयनामा का नामान्तकरण संख्या 99 दर्ज व स्वीकार हुआ। नामान्तकरण में माधव नारायण दतक पुत्र भगवान सहाय के नाम के अंकन हुआ। प्रर्दश–7 मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम माधो पुत्र श्रीनिवास का अंकन है। इसी प्रकार आधार कार्ड में भी माधो पुत्र श्रीनिवास का ही अंकन है। वाद की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र में भी गवाहान ने दर्ज किया है,कि वादी को भगवान सहाय ने गोद नही लिया ना ही वादी भगवान सहाय दतक पुत्र है। जबकि बयनामें में वसरपरस्ती अपने कुदरती पिता श्रीनिवास का नाम अंकित है। वादी माधव नारायण उर्फ माधो श्रीनिवास का पुत्र होना सभी गवाहान नें जाहिर किया। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 0.38 ऐयर,217 रकबा 0.25 ऐयर व खसरा नं. 218 रकबा 0.04 ऐयर वाके ग्राम भजीट में माधव नारायण दतक पुत्र भगवान सहाय को कलमजन कर उसके स्थान पर माधव नारायण उर्फ माधो पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राह्मण दुरस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर